न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{19}{30}$ / $\frac{2009-10}{2013}$ प्रदीप कुमार शर्मा वनाम् बिहार सरकार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	***आदेश*** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{19}{30}$/ $\frac{2009-10}{2013}$ प्रदीप कुमार शर्मा, पिता–लखन लाल शर्मा, ग्राम–थेभाय, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 40 दिनांक 14.02.2009 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। आवेदन में अपीलार्थी का कहना है कि जन वितरण प्रणाली लाईसेंस अपील वाद सं0 19/09–10 प्रदीप कुमार वनाम् बिहार सरकार बहस हेतु चल रहा था। वर्ष 2012 में दिनांक 27.09.2012 को जिला विधि शाखा में भीषण आग लग जाने के कारण सारा अभिलेख जलकर राख हो गया जिसमें उनका अपील भी जल गया। उनके पास अभिलेख से संबंधित फोटो प्रति कागजात है जिसे संलग्न किया जा रहा है। उनके द्वारा लाईसेंस अपील वाद सं0 19/09–10 को पुनः स्थापित करने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 40, दिनांक 14.02.2009 द्वारा यह उल्लेख करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति सं0 84 पी0/07 को रद्द कर दिया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा दिनांक 22.01.2009 को बिक्रेता का दूकान का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के समय भंडार में किरासन तेल 618 लीटर, गेहूँ 3.80 क्वी0 एवं चावल 4.45 क्वीं0 कम पाया गया था। उक्त के संबंध में ज्ञापांक 1443, दिनांक 25.10.2008 एवं ज्ञापांक 1800 दिनांक 24.12.2008 से स्पष्टीकरण की मांग किया गया लेकिन बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन में यह उल्लेख किया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परवता द्वारा दिनांक 22.01.2009 को दूकान का सत्यापन बिक्रेता की उपस्थिति में किया ही नहीं गया था। वास्तव में 22.01.09 को बिक्रेता के दूकान का सत्यापन किया ही नहीं गया है। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परवता के गलत प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा इस मामले को बिना जांच किये एवं सत्यापन	

किये अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनके संबंधी की गंभीर स्थिति थी जिसके कारण उनके यहाँ चले गए थे, इसलिए समय पर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दे सके। उनका यह भी कहना है कि उनके विरूद्ध स्थानीय उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। उनके द्वारा अपील को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 14.02.2009 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत ग्राम थेभाय पंचायत भरसों के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री प्रदीप शर्मा अनुज्ञप्ति सं0 84 पी0/07 के दूकान को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा भौतिक सत्यापन के समय भंडार में किरासन तेल 618 ली0, गेहू 380 क्वीं0 एवं चावल 4.45 क्वीं0 कम पाया गया था। उक्त के आलोक में ज्ञापांक 1443, दिनांक 25.10.2008 एवं ज्ञापांक 1800, दिनांक 24.12.2008 से बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। लेकिन बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया गया और उक्त आरोप के आलोक में अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि विधि शाखा में आग लगने के कारण अभिलेख जलकर नष्ट हो गया। अभिलेख जलने के उपरांत वाद विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब समय क्षांत करते हुए वाद को अंगीकृत किया जाए।

उनका यह भी कहना था कि अपीलार्थी अपने संबंधी के गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके यहाँ चले गए थे, इसलिए समय पर स्पष्टीकारण समर्पित नहीं कर सके। अतः अनुमडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को निरस्त किया जाए एवं बिक्रेता का आवंटन चालू किया जाए।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा बिक्रेता के दूकान का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के समय में भंडार में किरासन तेल 618 ली0, गेहूँ 3.80 क्वीं0 एवं चावल 4.45 क्वीं0 कम पाया गया था और इस आरोप में बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया और उक्त आरोप के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 40 दिनांक 14.02.2009 द्वारा बिक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या–84 पी0/07 को रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी कथन कि संबंधी के गंभीर स्थिति के कारण उनके यहाँ चले गए थे, इस कारण से स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर सके। इससे समर्थन में उनके द्वारा कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि बिक्रेता पर लगाए गए आरोप सही था, इसलिए स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब से दायर अपील के समय को क्षांत करने संबंधी अनुरोध भी स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि जिला विधि शाखा में दिनांक 27.09.2012 को आगजनी की घटना होने के बाद अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि दिनांक 26.11.2012 से प्रकाशित किया गया था और इस जानकारी के बावजूद भी इतने समय बाद विलम्ब से अपील दायर दिया गया है और विलम्ब का कोई कारण दर्शाया नहीं गया है। अतः विलम्ब का क्षांत संबंधी अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा अपील काफी विलम्ब से दायर किया गया है, इसलिए यह स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 14.02.2009 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया। 19/9/17   समाहर्त्ता, खगड़िया। 19/9/17

ज्ञापांक 317/विधि दिनांक 19.4.2017

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

19/9/2017

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया
19/9/17